Number of Stone Crushers

***1577 DR. ABHE SINGH YADAV, M.L.A.**: Will the Mines & Geology Minister be pleased to state :-

a) the number of stone crushers functioning in Nangal Chaudhary Assembly Constituency in Mahendragarh district;

b) the number of units complying with the environmental parameters;

c) the number of unit not complying with such parameters;

d) the details of action taken by the Government against defaulters; and

e) the time by which compliance of environmental parameters by all the above said units is likely to be ensured by the Government?

SH. MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER

Reply: Sir,

A Statement is laid on the table of the House.

Statement/*1577/March, 2022

(a) There are 90 stone crushers in Nangal Chaudhary Assembly Constituency in Mahendragarh district, established with the consent of the Haryana State Pollution Control Board (HSPCB).

(b) and (c) Out of the 90 crushers established with the consent of the Board, 61 stone crushers have been found to be complying with the environmental norms and 25 stone crushers have been found to be non-complying with the environmental norms of siting parameters and emission. The Consent to Operate of 4 units has expired and units have closed on their own.

(d) The details of actions taken by the Haryana State Pollution Control Board against the stone crushers which have been found to be non-complying with the environmental norms, are given at **Annexure-A**.

(e) HSPCB has been regularly inspecting the polluting industries as per the mandate and policy of the Board for different categories of industries, including the stone crushers, by checking the installation and operation of pollution control devices and compliance against the prescribed standards for discharge of environmental pollutants. Besides regular mandatory inspections, HSPCB is also conducting special inspections whenever it receives complaints through specified channels, and in case of receipt of Hon'ble Court/National Green Tribunal directions for conduct of inspection. The Board allows only those units which comply with the environmental standards prescribed and take action against the violating units, including closure and prosecution, following the due procedure.

Annexure-A

Action taken by the Haryana State Pollution Control Board against the 25 stone crushing units in Nangal Chaudhary Assembly Constituency which are not complying with the environmental norms:-

1. 22 units are not meeting norms for siting of stone crushers as notified in Schedule-I of Notification dated 11.05.2016 of Government of Haryana, Environment Department.
    a. Consent to Operate of 13 units has been revoked by the Board. Out of these 13 units, 6 units have obtained stay from the Hon'ble Supreme Court of India, 2 units have obtained stay from the Hon'ble Appellate Authority and 5 units are lying closed.
    b. 2 units obtained stay from the Hon'ble High Court, before revocation of Consent to Operate.
    c. Consent to Operate of 4 units has been revoked and closed by the Board.
    d. Consent to Operate of 3 units has already expired and the units are lying closed on their own.
2. 3 units which were found non-complying with the emission norms, notified in Schedule-II of Notification dated 11.05.2016 of Government of Haryana, Environment Department, were closed by the Board.

स्टोन क्रै ारों की संख्या

* 1577 डा0 अभय सिंह यादव, विधायकः– क्या खान तथा भू–विज्ञान मंत्री बताने का कश्ट करेंगेः–

(क) महेन्द्रगढ जिले के नांगल चौधरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में परिचालित स्टोन क्रै ारों की संख्या;

(ख) पर्यावरणीय मापदण्ड़ो की पालना करने वाली ईकाइयों की संख्या;

(ग) ऐसे मापदण्ड़ो की पालना न करने वाली ईकाइयों की संख्या;

(घ) दोशियों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा तथा

(ड.) सरकार द्वारा उक्त सभी ईकाइयों द्वारा पर्यावरण मानकों का अनुपालन कब तक सुनि चत किये जाने की सम्भावना है।

श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

उत्तरः– श्रीमान, ब्यान सदन के पटल पर रखा गया है।

ब्यान/*1577/मार्च, 2022

(क) जिला महेन्द्रगढ़ के नांगल चौधरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 90 स्टोन क्रै ार हरियाणा राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड (एच.एस.पी.सी.बी.) की सहमति से स्थापित है।

(ख) तथा (ग) बोर्ड की सहमति से स्थापित 90 क्रै ारों में से 61 स्टोन क्रै ार पर्यावरणीय मानकों की पालना करते हुए पाए गए है तथा 25 स्टोन क्रै ारों साइटिंग मापदण्डों तथा उत्सर्जन के पर्यावरणीय मानकों की पालना न करते हुए पाए गए है। चार ईकाइयों के संचालन की सहमति समाप्त हो गई है तथा ईकाईयां अपने आप बन्द हो गई है।

(घ) पर्यावरण मानकों का पालन न करने वाले स्टोन क्रै ारों के विरूद्ध हरियाणा राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण **अनुबन्ध–क** में दिया गया है।

(ड.) एच.एस.पी.सी.बी. प्रदूशण फैलाने वाली ईकाईयों सहित स्टोन क्रै ारों के प्रदूशण नियंत्रण करने वाले यंत्रों की जांच नियमित रूप से अपने अधिदे ा और नीतियों के तहत करता रहता है। अनिवार्य नियमित निरीक्षण के अलावा एच.एस.पी.सी.बी. को जब भी कभी विनिर्दिश्ट चैनलों के माध्यम से ि ाकायतें प्राप्त होती है अथवा निरीक्षण के लिए माननीय न्यायालय/राश्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की निर्दे ाों की प्राप्ति होती है तो वह मामलों में वि ोश निरीक्षण भी करता है। बोर्ड केवल उन्हीं ईकाईयों को चलाने की अनुमति देता है जो निर्धारित पर्यावरणीय मानको की पालना करती है और उल्लंघन करने वाली ईकाईयों के विरूद्ध कार्यवाही करता है जिसमें उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए बंद करना और मुकदमा चलाना भाामिल है।

अनुबन्ध–क

नांगल चौधरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 25 स्टोन क्रै ार जो पर्यावरणीय मानकों की पालना नहीं करते है, के विरूद्ध हरियाणा राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाहीः–

1. 22 ईकाईयां हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.05.2016 की अनुसूची–1 में अधिसूचित, स्टोन क्रै ारों के साईटिंग मापदण्डों के मानकों को पूरा नहीं करती है।

क. 13 ईकाईयों को चलाने की सहमति बोर्ड द्वारा रद्द की गई है। इन 13 ईकाईयों में से 6 ईकाईयों ने माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय से स्थगन (स्टे) प्राप्त किया है, 2 ईकाईयों ने माननीय अपील प्राधिकरण से स्थगन (स्टे) प्राप्त किया है तथा 5 ईकाईयाँ बन्द पड़ी है।

ख. 2 ईकाईयों नें चलाने की सहमति के प्रतिसंहरण से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन (स्टे) प्राप्त किया है।

ग. 4 ईकाईयों को चलाने की सहमति बोर्ड द्वारा रद्द की गई है तथा उन्हे बंद भी किया गया है।

घ. 3 ईकाईयों की चलाने की सहमति पहले ही समाप्त हो गई है तथा ईकाई अपने स्तर पर बन्द पड़ी है।

2. 3 ईकाई जो हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 11–05–2016 की अनुसूचि–2 में अधिसूचित उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करती पाई गई थी, बोर्ड द्वारा बन्द कर दी गई थी।